आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्व आवेदन संख्या :– 121/2019

क्रमांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
5/6/19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप0। राज पैरोकार उप0। प्रार्थी अधिवक्ता ने इस आश्य का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं खातेदारी में खेत खसरा नम्बर 1380/738 रकबा 02.06.04 बीघा किस्म बारानी सोयम मौजा शिव तह0 शिव में आई हुई थी, जिसमे से रकबा 0.09.13 बीघा भूमि उपखण्ड़ अधिकारी शिव के आदेशांक भू– राजस्व 2017/301 दिनांक 23.02.2017 को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाई। जिसका राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद नामान्तरकरण संख्या 2703 दिनांक 14.03.2017 को हल्का पटवारी द्वारा खोला जाकर दिनांक 15.03.2017 को भू–अभिलेख निरीक्षक शिव द्वारा जांच की गई तत्पश्चात तहसीलदार शिव द्वारा दिनांक 14.07.2017 को स्वीकृत किया गया जिसमें खसरा नम्बर 1380/738 रकबा 0.09.13 बीघा भूमि की किस्म गै0मु0 वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ तथा खसरा नम्बर 1403/1380 रकबा 01.16.11 बीघा भूमि किस्म बा0सो0 कायम किये गये। इस नामान्तरकरण संख्या 2703 मौजा शिव का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करते समय लिपीकीय भूल से गै0मु0 वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि का खसरा नम्बर 1403/1380 रकबा 0.09.13 बीघा दर्ज कर दिया गया तथा गै0मु0 वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि के खसरा नम्बर 1380/738 को रकबा 01.16.11 बीघा भूमि की किस्म बा0सो0 दर्ज कर दी गई। जो केवल मात्र लिपीकीय भूल से हुई। जिसे दुरस्त किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र पंजीयन कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी ने अपने जवाब आवेदन में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्यो को स्वीकार करते हुए उक्त लिपिकीय भूल को दुरस्त किये जाने अनापति प्रस्तुत की। हमने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए नामान्तरकरण संख्या 2703 मौजा शिव अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दुरस्ती किये जाने का निवेदन किया। विप्रार्थी पैरोकार ने भी इस बाबत् अपनी अनापति जाहिर की। प्रार्थना पत्र के संलग्न नामान्तरकरण संख्या 2703 मौजा शिव का अवलोकन एवं वर्तमान जंमाबन्दी का अवलोकन करने पर दोनो में परस्पर विरोधाभास है। जबकि जमाबंदी में परिर्वतन नामान्तरकरण के आधार पर ही किया जाना होता है इस प्रकरण में हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण के विरूद्व राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में इन्द्राज कर दिया गया है जो लिपिकीय भूल के कारण दर्ज हुआ है जिसे दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शिव द्वारा दिनांक 14.07.2017 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2703 के मौजा शिव तह0 शिव के अनुसार मुल खसरा नम्बर 1380/738 के इन्द्राज राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में किये जाने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार एवं नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। आदेश सरे इंजलाश सुनाया गया है। उपखण्ड़ अधिकारी शिव	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.14 11:26:56 IST
Reason: SelfAttested